fogxkoykdu

इस प्रतिवेदन में 'lkde lfonk e dj dk fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k* विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 488.77 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 21.97 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 11.60 लाख की वसूली कर ली गई है कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. lkekU;

वर्ष 2012–13 के ₹ 1,45,903.99 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013–14 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,68,213.75 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 66,582.08 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 16,449.80 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 83,031.88 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 85,181.87 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 62,776.70 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 22,405.17 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

¼iLrj 1-1-1½

दिसम्बर 2013 तक निर्गत किये गये 11,104 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,816.69 करोड़ की धनराशि के 34,446 प्रस्तर जून 2014 के अन्त तक लम्बित थे।

¼iLrj 1-6½

वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, खनन प्राप्तियां और मनोरंजन कर से सम्बन्धित 1,222 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच में ₹ 2,060.92 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों कें 5987 मामलें प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान विभाग ने 611 मामलों में ₹ 3.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 15 मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 35.70 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 615 प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 13 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 3.38 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एंव शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें।

¼iLrj 1-10½

II. fcØh] 0;kikj vkfn ij dj

lkde lfonk e dj dk fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- समाधान राशि के कम आरोपण के फलस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ समाधान राशि की कम वसूली।

¼iLrj 2-3-7½

- कर योग्य आवर्त के गलत निर्धारण एवं कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 41.44 लाख कर नही/कम आरोपित हुआ।

¼iLrj 2-3-8½

- टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र नियमित प्रारुप में प्रस्तुत किये बगैर 23 संविदाकारों को ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

¼iLrj 2-3-9½

- 69 संविदाकारों को ₹ 2.84 करोड़ के कर की अनियमित वापसी कर अदेय वित्तीय लाभ दिया।

¼iLrj 2-3-10½

- संकर्म संविदा पर कर का विलम्ब से जमा करने और धारा 54 (1) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹ 16.56 करोड़ का अर्थदण्ड नही लगाया गया।

¼iLrj 2-3-11½

- केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत पूँजीगत माल के क्रय हेतु अनियमित रूप से अधिकृत करने के फलस्वरूप 31 संविदाकारों को ₹ 1.42 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

¼iLrj 2-3-12-1½

- फार्म सी घोषणा पत्र के दुरूपयोग से के0बि0क0 के अन्तर्गत ₹ 95.40 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

¼iLrj 2-3-12-2½

- स्थानीय क्षेत्र से बाहर की खरीद पर 17 व्यापारियों के मामले में ₹ 60.40 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

¼iLrj 2-3-13½

- अपंजीकृत संविदाकारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण की पद्धति अपर्याप्त थी क्योंकि 69 कार्यालयों में से केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में इन पाँच कार्यालयों में केवल 25 अपंजीकृत संकर्म संविदाकारों का पता लगा था।

¼iLrj 2-3-15-3½

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची में दिये दरों के अनुसार सही दरों से कर नही लगाया तथा कुछ मामलों में कर नही लगाया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ का कर न/कम आरोपित रहा।

¼iLrj 2-5½

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.96 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(iLrj 2-6)

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0) के गलत/झूठे दावों की खोज न करने से ₹ 22.09 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उत्क्रमण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं ब्याज का मामला बना।

(iLrj 2-10)

III. jkT; vkcdkjh

देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) में कम दर से वृद्धि किया जाने से ₹ 1.98 करोड़ के राजस्व से शासन वंचित रहा।

(iLrj 3-4)

बीयर बार लाइसेंस फीस के बिना बीयर की बिक्री किया जाने से ₹ 1.31 करोड़ के राजस्व से शासन वंचित रहा।

(iLrj 3-5)

आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ₹ 26.02 लाख के ब्याज का अनारोपण।

(iLrj 3-6)

विलम्ब से प्राप्त एम0एफ0–4 गेट पासों पर अर्थदण्ड ₹ 21.01 लाख को आरोपित नही किया गया।

(iLrj 3-8)

IV. okguk] eky ,oa ;kf=;ksa ij dj

परमिट के निर्गम/नवीनीकरण/प्राधिकार में अनियमितता के कारण ₹ 5.33 करोड़ की वसूली नही हुयी।

(iLrj 4-4)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों से अतिरिक्त कर ₹ 19.20 करोड़ का अनारोपण।

(iLrj 4-5)

वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण ₹ 8.35 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना।

(iLrj 4-7)

वाहनों के अधिक भार के परिवहन पर शास्ति ₹ 58.09 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण।

(iLrj 4-10)

V. LVkEi ,oa fuca/ku Qhl

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 5.28 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(iLrj 5-5)

लेखपत्र के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क ₹ 6.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(iLrj 5-7)

VI. vU; dj ,oa djrj izkfIr;k¡

बिना खनन योजना के उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 131.95 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(iLrj 6-4-1-1)

खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 66.98 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(iLrj 6-4-1-2)

खनन योजना में स्वीकृत खनिज से अधिक उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 46.81 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(iLrj 6-4-1-3)

संशोधन के पूर्व की दर से अमल करने के कारण ₹ 60.38 लाख के रायल्टी का उप–खनिज पर कम आरोपण

(iLrj 6-5)

अपरिहार्य भाटक एवं ब्याज ₹ 6.27 लाख को कम वसूल किया गया।

(iLrj 6-9)

अनुरक्षण प्रभार ₹ 5.94 लाख को सिनेमा स्वामियों द्वारा जमा नही किया गया।

(iLrj 6-16-1)

सिनेमा स्वामियों द्वारा अनुदान स्कीम की शर्तो के उल्लंघन करने पर ₹ 10.60 लाख के राजस्व की वसूली नही की गयी।

(iLrj 6-16-2)